



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या -
डी-2/ई-1/2024
दिनांक 17.10.2024

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि : 17.10.2024

ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार (SUBMIT) किये जाने की अन्तिम तिथि : 18.11.2024

ऑनलाइन सबमिट आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee Reconciliation) की अन्तिम तिथि : 25.11.2024

अभिलेखों सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी जमा किये जाने की अन्तिम तिथि

और समय : 02.12.2024 (सायं 05:00 बजे तक)

महत्वपूर्ण:

(1) (a) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R Registration) कर O.T.R. नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।

(b) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट <https://otr.pariksha.nic.in> से ओ0टी0 आर0 नम्बर प्राप्त कर लें।

(c) ओ0टी0आर0 नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।

(2) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा-O.T.R., फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से सम्बन्धित संशोधन/त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं साफ्ट व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।

(3) अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और किसी पद के लिये तभी आवेदन करें जब वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित पद के लिए अर्ह हों।

नोट— (1) अभ्यर्थीगण ऑन-लाइन आवेदन करने के उपरान्त ऑन-लाइन आवेदन के प्रिन्ट आउट के साथ आवेदित पद के सापेक्ष ऑन-लाइन आवेदन में किये गये दावों के समर्थन में समस्त शैक्षिक/वांछित अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न कर अभिलेखों सहित आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा किये जाने की अंतिम तिथि के सायं 5.00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से अथवा हाथों-हाथ आयोग कार्यालय में जमा करना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करेंगे।

आयोग की वेबसाइट पर 'Candidate Dashboard (O.T.R. Based)' पर login कर autofilled पता पर्वी को download कर व उसका प्रिन्टआउट लेकर आवेदन पत्र एवं अभिलेख प्रेषित करने वाले लिफाफे पर उसे चस्पा करते हुए आयोग कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ऑन-लाइन आवेदन में किये गये किसी दावे को अभिलेखों के अभाव में स्वीकार नहीं किया जायेगा निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभिलेखों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2) लिफाफा A-4 साइज का होना चाहिए। एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने की स्थिति में अभ्यर्थी प्रत्येक पद हेतु अलग-अलग लिफाफे में अपने आवेदन-पत्र एवं अभिलेखादि प्रेषित करें।

(3) यदि अभ्यर्थी द्वारा autofilled पता पर्वी (Address Slip) लिफाफे पर चस्पा नहीं की जाती है तो आयोग द्वारा उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

विशेष सूचना :- (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। (ख) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सूचनाओं/निर्देश हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। O.T.R. के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।

1. ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की Website <https://uppsc.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में 'O.T.R. BASED APPLICATION' system लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑन-लाइन आवेदन ही करें।

ऑन-लाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार ही आवेदन करें:-

आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर "ALL NOTIFICATIONS / ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर 'ON-LINE ADVERTISEMENTS' स्वतः प्रदर्शित होंगे, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं:-

(i) User Instructions

(ii) View Advertisement

(iii) Apply

User Instructions में अभ्यर्थियों को ऑन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample snapshots भी प्रदर्शित होंगे।

'ऑन-लाइन आवेदन' करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा :-

प्रथम चरण :- 'Apply' Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष 'Authenticate with O.T.R.' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरान्त 'Have You Completed your O.T.R. Registration' प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि :-

(i) **'Yes'** पर Tick करने के पश्चात् **'Go'** बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात् **'Click here to Authenticate'** प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके (रजिस्टर्ड मोबाइल नं०/ई-मेल पर) अभ्यर्थी प्राप्त O.T.P. अथवा O.T.R.-पासवर्ड के माध्यम से Authenticate कर सकते हैं। Authentication की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनायें (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी हैं) स्वतः प्रदर्शित होगी। अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी।

(ii) **'No'** पर Tick करने के पश्चात् **'Go'** बटन पर Click करता है तो :-
a. सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ.टी.आर. वेब पोर्टल (<https://otr.pariksha.nic.in>) से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। b. ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात् प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

द्वितीय चरण:- प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर

'Application Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'Submit Details' पर क्लिक करना होगा जिसके पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हतायें भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी अधिमानी अर्हताओं के सम्मुख कालम में Yes या No विकल्प का चुनाव करना होगा।

तृतीय चरण:- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् 'Fee Confirmation Window' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for Fee payment' के सम्मुख 'Yes' विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात् 'SBI MOPS' का 'Home page' प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:-

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES- उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् 'Payment Transaction Slip' प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, जिसका प्रिन्ट 'प्रिन्टर आइकन' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Candidate Dashboard Login' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate और 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।

नोट:- निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में Payment करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिन्टआउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

चतुर्थ चरण:- तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा जिसका प्रिन्ट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरांत अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Home Page' के 'Candidate Dashboard Login' पर Click कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

विशेष अनुदेश

(1) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि/संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, ई.डब्ल्यू.एस., क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अन्तिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन सम्बन्धी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

(2) अपूर्ण ऑन-लाइन आवेदन-पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे और इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(3) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर, किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गई है अथवा गलत भरी गयी है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आयोग के इस व आगामी समस्त चयनों/परीक्षाओं से उसे डिबार (प्रतिवारित) एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(4) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग के प्रश्नगत चयन तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है।

(5) यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात् Dashboard पर Synchronise (sync) करना अनिवार्य होगा, अथवा परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(6) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(7) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(8) आयोग अभ्यर्थियों को उनके आवेदन पत्र की सरसरी जांच पर औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरांत संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जायेगी।

(9) किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग के प्रश्नगत चयन व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

2- आवेदन शुल्क : ऑन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् तृतीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार शुल्क जमा करें। निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है :-

(i) अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग- आवेदन शुल्क रु 80/- + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु 25/- योग = रु 105/-

(ii) अनुसूचित जाति/ - आवेदन शुल्क रु 40/- + ऑनलाइन प्रक्रिया
अनुसूचित जन जाति शुल्क रु 25/- योग = रु 65/-

(iii) दिव्यांग श्रेणी - आवेदन शुल्क NIL + ऑनलाइन प्रक्रिया
शुल्क रु 25/- योग = रु 25/-

(iv) भूतपूर्व सैनिक - आवेदन शुल्क रु 40/- + ऑनलाइन
प्रक्रिया शुल्क रु 25/- योग = रु 65/-

(v) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी - अपनी मूल श्रेणी के अनुसार
के आश्रित/महिला/
कुशल खिलाड़ी

उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0

पद का नाम: कुलसचिव, कुल रिक्तियों की संख्या- 04 आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या:- लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-04, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिक्ति नहीं, **विभाग संख्या-** एस-3/01, **पद का स्वरूप-** समूह- 'क', अराजपत्रित, **वेतनमान-** वेतनमान-रु 15600- 39100/-, ग्रेड पे-7600/-, **आयुसीमा-** न्यूनतम 35 वर्ष, उच्चतम 45 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है तथा किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसने केन्द्रीय सेवा में या विश्वविद्यालय में किसी पद पर पहले से ही कम से कम एक वर्ष की सेवा की हो, अधिकतम आयु सीमा उतनी अधिक होगी जितनी उसने उपर्युक्त उल्लिखित आयु सीमा के उपरान्त निरन्तर सेवा की हो)। **शैक्षिक अर्हताएँ:-** (अ) अनिवार्य अर्हताएँ:- (एक) स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष अर्हता, हिन्दी तथा अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान।

(दो) अनुभव:- किसी विश्वविद्यालय, राजकीय कार्यालय या उच्च शिक्षा के संस्थान में प्रशासकीय एवं पर्यवेक्षण स्तर का अथवा किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में शिक्षक का न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव।

(ब) अधिमानी अर्हताएँ:- 1. स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष अर्हता।

2. अन्य बातें सामान्य होने पर ऐसे व्यक्ति को वरीयता दी जायेगी, जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के कार्य का, विश्वविद्यालय के परीक्षाओं के संचालन का ज्ञान हो तथा उससे सम्बद्ध रहा हो, आलेखन कला की योग्यता हो, वित्तीय एवं लेखा सम्बन्धी समस्याओं का ज्ञान हो तथा जनसम्पर्क के कार्यों के प्रति रुचि रही हो।

नोट:- स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता:- भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि के समकक्ष अर्हता के संबंध में जारी शासनादेश संख्या-03/2023/312/47-का- 2-312 एलसी/2022 दिनांक 19.07.2023 का प्रवर्तनीय अंश निम्नवत् है:- "..... 3. उपर्युक्त समस्या के निवारण के संदर्भ में सम्यक् विचारोपरांत निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं:- (1)- ऐसे प्रकरणों में जहां तकनीकी प्रकृति के पद किसी विभाग की सेवा नियमावली में विद्यमान है तथा उनके लिए सामान्य स्नातक की अर्हता के स्थान पर कोई विशिष्ट अर्हता एवं उसके समकक्ष अर्हता अथवा किसी विशिष्ट शाखा व उपशाखा में स्नातक एवं उसके समकक्ष संगत नियमावली में निर्धारित की गई है, वहां विहित अर्हता के समकक्ष अर्हता का निर्धारित संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा। (2)- उक्त बिन्दु संख्या-1 से आच्छादित प्रकरणों को छोड़कर जिस किसी विभाग की नियमावली में अर्हता सामान्य स्नातक और उसके समकक्ष अर्हता निर्धारित की उक्त के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:- (1) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा अध्ययन की किसी भी शाखा में यदि स्नातक की उपाधि प्रदान की गई है तो उक्त समस्त उपाधियों। स्नातक के रूप मान्य होगी। (2) मानव संस्थान विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न व्यवसायिक निकायों/संस्थानों द्वारा संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रदान की गई स्नातक, स्तर की उपाधियाँ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय) तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अधीन स्नातक के समकक्ष मान्य किये जायेंगे। (3) किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति में केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार/ विनियामक निकायों से जैसी भी स्थिति हो, संबंधित आयोगों द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। (4) उपर्युक्त समतुल्यता केवल उ0प्र0 राज्य में लोक सेवा आयोग/अधीनस्थ सेवा आयोग एवं अन्य भर्ती संस्थानों द्वारा सेवा-नियमावलियों में विहित स्नातक एवं समकक्ष अर्हता के लिए मान्य होगा।

नोट:- स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष अर्हता:- स्नातकोत्तर उपाधि या सी0ए0/सी0एस0आई0सी0डब्ल्यू0ए0/राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार 04 वर्षीय स्नातक के साथ एक वर्षीय परास्नातक।

नोट:- शासन द्वारा जारी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18.04.2022 के बिन्दु-5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) के प्राविधानान्तर्गत दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों में केवल ओ0ए0, ओ0एल0, बी0ए0, बी0, एल0बी0, डी0, एच0एच0, एल0सी0, डीडब्ल्यू0, ए0एवी0 उपश्रेणी के अभ्यर्थी ही उक्त पद हेतु पात्र होंगे।

पद की संगत सेवा नियमावलियाँ

- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1975
- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1976
- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1977
- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1979
- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1983
- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 1986
- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (षष्ठम संशोधन) नियमावली, 1993
- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (सातवाँ संशोधन) नियमावली, 2005
- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (आठवाँ संशोधन) नियमावली, 2021

लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0

पद का नाम: सहायक वास्तुविद, कुल रिक्तियों की संख्या- 07 आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या:- लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-06, ओ0पी0 वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण- महिला-01, **विभाग संख्या-** एस- 06/01, **पद का स्वरूप-** समूह- 'ख', राजपत्रित, **वेतनमान-** वेतन मैट्रिक्स लेवल-10, **आयु सीमा-** न्यूनतम 21 वर्ष, उच्चतम 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है)। **शैक्षिक अर्हताएँ:-** (अ) अनिवार्य अर्हताएँ:- अभ्यर्थी संसद या राज्य विधानमण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त वास्तुकला में स्नातक उपाधि या वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा-14 की अनुसूची में उल्लिखित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या

संस्था की समकक्ष व्यावसायिक अर्हता धारित करता हो। नोटः— समकक्ष अर्हता: वास्तुविद अधिनियम-1972 की धारा-14 की अनुसूची के अनुसार विहित है। (ब) अधिमानी अर्हताएँः— अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने:- 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। नोटः— शासन द्वारा जारी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18.04.2022 के बिन्दु-5 (अनारक्षित रिकित्तियों पर नियुक्ति) के प्राविधानान्तर्गत दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों में एच0एच0, ओ0एल0, बी0एल0, डी0डब्ल्यू0, ए0ए0वी उपश्रेणी के अभ्यर्थी ही केवल उक्त पद हेतु पात्र होंगे।			
पद की संगत सेवा नियमावली • उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग वास्तुविद सेवा नियमावली, 1992			
उ0प्र0 आयुष (आयुर्वेद) विभाग पद का नाम: रीडर (उपाचार्य), रिकित्तियों की संख्या- 36 विशिष्टतावार रिकित्तियों की संख्या निम्नवत् है:-			
क्र0सं0	रीडर (स्पेशियलिष्ट)	आरक्षणवार पदों की संख्या	विभाग संख्या
1.	कायचिकित्सा	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, अ0पि0वर्ग-02, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिकित नहीं।	एस-9/02
2.	कौमारभृत्य	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, अनु0जाति-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिकित नहीं।	एस-9/03
3.	रचना शारीर	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, अनु0जाति-01, अ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिकित नहीं।	एस-9/04
4.	क्रिया शारीर	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनु0जाति-01, अ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिकित नहीं।	एस-9/05
5.	द्रव्यगुण	कुल पद 01, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिकित नहीं।	एस-9/06
6.	अगद तंत्र एवं विधि आयुर्वेद	कुल पद 02 लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, अ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिकित नहीं।	एस-9/07
7.	रोग निदान	कुल पद 04 लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, अनु0जाति-01, अ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिकित नहीं।	एस-9/08
8.	स्वास्थ्यवृत्त	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, अ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिकित नहीं।	एस-9/09
9.	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, अनु0जाति-01, अ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिकित नहीं।	एस-9/10
10.	शल्य तंत्र	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, अनु0जाति-01, अ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिकित नहीं।	एस-9/11
11.	शालाक्य तंत्र	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, अनु0जाति-01, अ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिकित नहीं।	एस-9/12
12.	संहिता संस्कृत एवं सिद्धान्त	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, अनु0जाति-01, अ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिकित नहीं।	एस-9/13
पद का स्वरूप- समूह- 'क', राजपत्रित, वेतनमान- वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (रु0 67700-208700), आयु सीमा- न्यूनतम 28 वर्ष, उच्चतम 45 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।) शैक्षिक अर्हताएँः- (अ) अनिवार्य अर्हताएँः- (एक) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में 5 वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश या किसी राज्य/बोर्ड या संकाय की 5 वर्ष की उपाधि, जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने के योग्य है। (दो) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में सम्बन्धित विषय के अध्यापन का 7 वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर अर्हता। (ब) अधिमानीः- 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। 2. शोध कार्य और मौलिक पत्रों एवं पुस्तकों का प्रकाशन। (स) अधिमानी अर्हताएँः- ऐसे अभ्यर्थी जिसने- 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा। नोटः- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा राज्य (आयुर्वेदिक/यूनानी) चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। नोटः- शासन द्वारा जारी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18.04.2022 के बिन्दु-5 (अनारक्षित रिकित्तियों पर नियुक्ति) के प्राविधानान्तर्गत दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों में ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, डी डब्ल्यू0, ए0ए0वी0 उपश्रेणी के अभ्यर्थी ही केवल उक्त पद हेतु पात्र होंगे।			
पद की संगत सेवा नियमावलिाँ			

- उ0प्र0 राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990
- उ0प्र0 राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2008

उ0प्र0 आयुष (आयुर्वेद) विभाग			
पद का नाम: प्रोफेसर (आचार्य), रिकित्तियों की संख्या-19			
विशिष्टतावार रिकित्तियों की संख्या निम्नवत् है:-			
क्र0सं0	प्रोफेसर (स्पेशियलिष्ट)	आरक्षणवार पदों की संख्या	विभाग संख्या
1.	कौमारभृत्य	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिकित नहीं।	एस-9/14
2.	रचना शारीर	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, अनु0जाति-01, अ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिकित नहीं।	एस-9/15
3.	क्रिया शारीर	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनु0जाति-01, अ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिकित नहीं।	एस-9/16
4.	प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, अनु0जाति-01, अ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिकित नहीं।	एस-9/17
5.	शल्य तंत्र	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, अनु0जाति-01, अ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिकित नहीं।	एस-9/18
6.	शालाक्य तंत्र	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, अनु0जाति-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिकित नहीं।	एस-9/19
7.	संहिता संस्कृत एवं सिद्धान्त	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, अनु0जाति-01, अ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण - कोई रिकित नहीं।	एस-9/20
पद का स्वरूप- समूह- 'क', राजपत्रित, वेतनमान- वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (रु0 78800-209200), आयु सीमा- न्यूनतम 30 वर्ष, उच्चतम 50 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है)। शैक्षिक अर्हताएँः- (अ) अनिवार्य अर्हताएँः- (एक) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में 5 वर्ष की उपाधि या भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश या किसी राज्य/बोर्ड या संकाय जो संयुक्त प्रान्त भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1939 के अधीन रजिस्ट्री किये जाने योग्य है, की 5 वर्ष की उपाधि। (दो) सम्बन्धित विषय के अध्यापन का 10 वर्ष का अनुभव (स्नातकोत्तर के सम्बन्ध में केवल 8 वर्ष) जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था में उपाचार्य के पद पर 03 वर्ष का अनुभव सम्मिलित है। (तीन) हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान। (ब) अधिमानीः- 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर अर्हता। 2. शोध कार्य और मौलिक पत्रों एवं पुस्तकों का प्रकाशन। (स) अधिमानी अर्हताएँः- ऐसे अभ्यर्थी जिसने- 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा। नोटः- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा राज्य (आयुर्वेदिक/यूनानी) चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। नोटः- शासन द्वारा जारी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18.04.2022 के बिन्दु-5 (अनारक्षित रिकित्तियों पर नियुक्ति) के प्राविधानान्तर्गत दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों में केवल ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, डी0डब्ल्यू0, ए0ए0वी उपश्रेणी के अभ्यर्थी ही उक्त पद हेतु पात्र होंगे।			
पद की संगत सेवा नियमावलिाँ			
- उ0प्र0 राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 - उ0प्र0 राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2008			
उ0प्र0 आयुष (आयुर्वेद) विभाग			
पद का नाम: प्राध्यापक संस्कृत, विभाग संख्या- एस-9/21, कुल रिकित्तियों की संख्या- 05, आरक्षणवार रिकित्तियों की संख्या- लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, अनु0जाति-02, अ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण- महिला-01, पद का स्वरूप- समूह- 'ख', राजपत्रित, वेतनमान- वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (रु0 56100-177500), आयु सीमा- न्यूनतम 25 वर्ष, उच्चतम 40 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है)। शैक्षिक अर्हताएँः- (अ) अनिवार्य अर्हताएँः- 1. संस्कृत में आम0ए0 (प्रथम श्रेणी में) या व्याकरण या संस्कृत साहित्य में आचार्य (प्रथम श्रेणी में)। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था में 03 वर्ष का अध्यापन अनुभव। 3. हिन्दी और अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान। (ब) अधिमानीः- 1. संस्कृत में पी0एच0डी0। 2. शोध कार्य और मौलिक पत्रों एवं पुस्तकों का प्रकाशन। (स) अधिमानी अर्हताएँः- ऐसे अभ्यर्थी जिसने- 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।			
नोटः- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से पूर्णकालिक वैतनिक पद का अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए तथा राज्य (आयुर्वेदिक/यूनानी) चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार/निदेशक अथवा शासन के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। अवैतनिक एवं अंशकालिक पद का अनुभव मान्य नहीं होगा। नोटः- शासन द्वारा जारी कार्यालय-ज्ञाप संख्या-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18.04.2022 के बिन्दु-5 (अनारक्षित रिकित्तियों पर नियुक्ति) के प्राविधानान्तर्गत दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों में केवल एल0वी0, ओ0ए0, ओ0एल0, एल0सी0, डी डब्ल्यू0, ए0ए0वी0 उपश्रेणी के अभ्यर्थी ही उक्त पद हेतु पात्र होंगे।			
पद की संगत सेवा नियमावलिाँ			

- उ0प्र0 राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990
- उ0प्र0 राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2008

प्रशासनिक सुधार विभाग, उ0प्र0			
पद का नाम- निरीक्षक-राजकीय कार्यालय, कुल रिकित्तियों की संख्या-02, आरक्षणवार रिकित्तियों की संख्या- लम्बवत् आरक्षण- अनुसूचित जाति-02, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिकित नहीं।, विभाग संख्या- सेवा-10/01, पद का स्वरूप- समूह- 'ख', राजपत्रित, वेतनमान- वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 (रु0 44900-142400/-), ग्रेड पे- 4600/-, आयु सीमा- न्यूनतम 35 वर्ष, उच्चतम 42 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।) परन्तु ऐसे अभ्यर्थी के लिये जो निरीक्षक के पद पर स्थानापन्न रूप में पहले से ही कार्य कर रहा हो उसकी आयु, उस दिनांक से जब से वह ऐसे स्थानापन्न रूप में निरन्तर कार्य कर रहा हो, 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी। शैक्षिक अर्हताएँः- (अ) अनिवार्य अर्हताएँः- (एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। (दो) ऐसे स्थायी सरकारी सेवकों में से जो राज्य सरकार के अधीन किसी कार्यालय में लिपिकीय पद पर हों और जिन्होंने ऐसे पद पर कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा की हो, परन्तु ऐसे व्यक्ति जो इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व स्थानापन्न या अस्थायी रूप से निरीक्षक के पद पर रह चुके हों या पद पर हों, वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। (ब) अधिमानी अर्हताएँः 1. ओ0 एण्ड एम0 में प्रशिक्षण या लोक प्रशासन (पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन) में डिप्लोमा या लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि या बिजिनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातकोत्तर उपाधि या कार्यालय का निरीक्षण करने का अनुभव। 2. 10 वर्ष की अपेक्षित सेवा में से कम से कम तीन वर्ष की पर्यवेक्षकीय हैसियत में सेवा। (स) अधिमानी अर्हताएँः अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने:- 1. प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या 2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।			
नोटः- अनुभव प्रमाण-पत्र का प्रारूप परिशिष्ट-2 में दिया गया है। नोटः- उक्त पद हेतु दिव्यांगजन की उपश्रेणियों का चिन्हांकन नहीं किया गया है।			
पद की संगत सेवा नियमावलिाँ			
- उत्तर प्रदेश कार्यालय निरीक्षण सेवा नियमावली, 1990 - उत्तर प्रदेश कार्यालय निरीक्षण सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1996			
उ0प्र0 आयुष (होम्योपैथी) विभाग			
पद का नाम: रीडर (उपाचार्य), रिकित्तियों की संख्या- 32			
विशिष्टतावार रिकित्तियों की संख्या निम्नवत् है:-			
क्र0सं0	लेक्चरर (स्पेशियलिष्ट)	आरक्षणवार पदों की संख्या	विभाग संख्या
1	अर्गेनन ऑफ मेडिसिन	कुल पद 09, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-06, अनु0जाति-01, अ0पि0वर्ग-02, क्षैतिज आरक्षण- महिला-01।	सेवा-11/01
2	रेपरटरी	कुल पद 06, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-04, अनु0जाति-01, अ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण- महिला-01।	सेवा-11/02
3	पैथालॉजी (विकृत विज्ञान)	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, अ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिकित नहीं।	सेवा-11/03
4	फोरेन्सिक मेडिसिन एण्ड टॉक्सिकोलॉजी (विधि शास्त्र एवं विष विज्ञान)	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, अ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिकित नहीं।	सेवा-11/04
5	फिजियोलॉजी (शरीर क्रिया विज्ञान)	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिकित नहीं।	सेवा-11/05
6	एनाटमी (शरीर रचना विज्ञान)	कुल पद 03, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, अ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिकित नहीं।	सेवा-11/06
7	सर्जरी (शल्य क्रिया विज्ञान)	कुल पद 02, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-02, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिकित नहीं।	सेवा-11/07
8	गायनाकोलॉजी एण्ड आब्स्टेट्रिक्स (स्त्री एवं प्रसूति रोग)	कुल पद 01, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-01, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिकित नहीं।	सेवा-11/08
9	कम्यूनिटी मेडिसिन (सामुदायिक औषध)	कुल पद 04, लम्बवत् आरक्षण- अनारक्षित-03, अ0पि0वर्ग-01, क्षैतिज आरक्षण- कोई रिकित नहीं।	सेवा-11/09
पद का स्वरूप- समूह 'क' राजपत्रित, वेतनमान- लेवल-11, वेतन बैंण्ड- रु0 67700-208700/-, आयु सीमा- न्यूनतम 28 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष (आरक्षित श्रेणियों को आयु में नियमानुसार छूट देय है।)। शैक्षिक अर्हताएँ- विषयों में अर्थात् आर्गेनन ऑफ मेडिसिन, रेपरटरी। क- अनिवार्य अर्हता: होम्योपैथी में स्नातकोत्तर अर्हता के साथ किसी डिग्री स्तरीय होम्योपैथिक महाविद्यालय में सम्बन्धित विषय में सहायक आचार्य/प्राध्यापक के रूप में चार वर्ष का शिक्षण अनुभव। उक्त अर्हता वही होगी, जो होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हो। ख- अधिमानी अर्हता: (एक) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सुपरवाइजर/सह-सुपरवाइजर अथवा मार्गदर्शक/सह-मार्गदर्शक का अनुभव। (दो) सम्बन्धित विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अनुसंधान संस्था में अनुसंधान का अनुभव। विषयों में, अर्थात् शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, विकृत			

on “Submit” button to finally push data into server with successful submission report that you can print.
[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE “Print” OPTION AVAILABLE]
For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website
<https://uppsc.up.nic.in>
IMPORTANT ANNOUNCEMENT
:- NOTIFICATIONS / ADVERTISEMENTS
✍All Notification / Advertisements
:- **ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION**
✍Candidate Registration
✍Fee Deposition /Reconciliation
✍Submit Application Form
✍Modify Submitted Application
✍Candidate Dashboard (OTR Based)
:- **CANDIDATE'S HELP DESK SECTION**
✍Double Verification mode
✍View Application Status
✍Download Admit Card
✍Print Duplicate Registration Slip
✍Print Detailed Application Form
✍List of Applications Having ANY Objections
✍View Answer Key

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS : On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिशिष्ट-1
उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-II)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय- समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।
श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।
स्थान हस्ताक्षर.....
दिनांक पूरा नाम.....
मुहर पद नाम.....
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप- I)
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीसुपुत्र/सुपुत्री निवासी तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य कीपिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।
श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील नगर जिला में सामान्यतया रहता है।
स्थान हस्ताक्षर
दिनांक पूरा नाम
मुहर पद नाम
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार।

(प्रपत्र-I)
उत्तर प्रदेश सरकार
कार्यालय का नाम.....
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र
प्रमाण पत्र संख्या..... दिनांक
वित्तीय वर्ष के लिए मान्य
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पति/पुत्री..... ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना तहसील जिला राज्य पिन कोड के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे, अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-
I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।
III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति के

आवेदक का पासपोर्ट साइज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर(कार्यालय का मुहर सहित)
पूरा नाम
पदनाम
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र-II)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषण पत्र स्वयं घोषण पत्र
मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना ब्लाक तहसील जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ।
1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।
अथवा
कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।
4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है।
I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।
III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।
नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।
स्थान :- **आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।**

Form-II
Certificate of Disability
(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)
(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. **Date:**
This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum.son/wife/daughter of Shri Date of Birth (DD/MM/YY) Age years, male/female registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/Street Post office District State
whose photograph is affixed above, and am satisfied that:
(A) he/she is a case of:
● locomotor disability
● dwarfism
● blindness
(Please tick as applicable)
(B) The diagnosis in his/her case is
(A) he/she has% (in figure)percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation to his/her (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).
2.The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson
3. Signature and seal of the Medical Authority. (Dr.....) (Dr.....) (Dr.....) Member Member Chairperson Medical Board Medical Board Medical Board with seal with seal with seal Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued Countersigned by the Chief Medical Officer		

(with seal)

Form-III
Certificate of Disability
(In cases of multiple disabilities)
(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability

Certificate No. **Date:**
This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum.son/wife/daughter of Shri Date of birth (DD/MM/YY) age years, male/female
Registration No. permanent resident of House No. Ward/Village/ Street Post Office District State whose photograph is affixed above, and am satisfied that:
(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. N.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/ mental disability (In%)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:-
In figures.....percent.
In words.....percent
2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.
3. Reassessment of disability is:-
(i) not necessary, or
(ii) is recommended/ after..... years..... months, and therefore this certificate shall be valid till (DD) (MM) (YY)
@ - e.g. Left/right/both arms/legs
- e.g. Single eye
£ - e.g. Left/Right/both ears
4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority Issuing certificate						
5. Signature and seal of the Medical Authority. <table><thead><tr><th>Name and Seal of Member</th><th>Name and Seal of Member</th><th>Name and Seal of the Chairperson</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued</td><td>Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)</td></tr></tbody></table>			Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson	Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued		Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)
Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson						
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued		Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)						

Form-IV
Certificate of Disability
(In cases of other than those mentioned in Forms II and III)
(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing

Page-4

